न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 106/2024

1. लखवीर कौर पनि श्री अमरेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 39 थर्ड ब्लॉक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर राजस्थान
2. राजविन्द्र कौर पत्नि गुरविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 39 थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर राजस्थान

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. अमरेन्द्र सिंह बराड़ पुत्र दलबार सिंह बराड़ जाति जट सिख निवासी 39 थर्ड ब्लॉक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर राजस्थान
2. गुरप्रीत कौर पुत्री दलबार सिह जाति जट सिख निवासी 39 थर्ड ब्लॉक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर राजस्थान
3. गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री दलबार सिंह जाति जट सिख निवासी 39 थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर राजस्थान
4. दलबार सिंह बराड़ पुत्र श्री बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी 39 थर्ड ब्लॉक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

–:: उपस्थिति ::–

1.	श्री मुकेश सिन्धी	– – प्रार्थी 1 व 2
2.	श्री गुरजीत सिंह वानर	– – अप्रार्थी संख्या 1 ता 4
3.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी 5

– :: निर्णय ::–

दिनांक :–16.01.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 01 के भाग चक 6 एल एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 59/41 के मुख्य नम्बर 55 में 2.086 हैक्टेयर रकबा एवं प्राथी संख्या 02 के नाम से 2.086 हैक्टेयर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। चक 6 एल एल के सुरब्बा नम्बर 55 के 1,10,11,20,21 में भुताबिक जमाबन्दी समवत् 2069 2072 के अनुसार रास्ता दिखाया गया है । जो कि बिलकूल गलत है। क्योंकि रास्ता बदलने के लिए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कभी भी कोई प्रार्थना पत्र किसी भी काश्तकार या खातेदार द्वारा नहीं दिया गया और ना ही इन किलों में कोई रास्ता मौके पर चला रहा है और ना ही कोई रास्ता मन्जूर शुदा है जबकि पूर्व की जमाबन्दी समवत् 2065 2068 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 55 के लिए रास्ता किला नम्बर 1 से 5 में दिखाया गया है जो कि बिलकूल सही है तथा किला नम्बर 1 से 5 में ही रास्ता मन्जूर शुदा है। जमाबन्दी समवत 2069–2072 में मुरब्बा नम्बर 55 के किला सडर 10,11,20,21 में रास्ता दिखाया गया है वह केवल लिपिकिय त्रुटि है जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में है। प्रार्थीगण द्वारा उक्तं दुरूस्ती करने के संबंध में प्रार्थना पत्र तहसील महोदय को भी प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया है यही प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण है ।कृषि भूमि चक 6 एल एल श्रीगंगानगर में स्थित है जो कि श्रीमानजी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है । अतः प्रार्थना पेश करके अर्ज है चक 6 एल एल के गुरबा नम्बर 55 के किला नम्बर 1,10,11,20,21 में जो रास्ता दिखाया गया है उसमें दुरूस्ती की जाकर रास्ता किला नम्बर 1 ता 5 में यथावत रखा जाकर रिकार्ड में दुरुस्ती करने के आदेश करवाये जाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया।

पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 220 दिनांक 15.01.2025 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार मुरबा नम्बर 55 के किला नं. 1 ता 5 (एक एक बिश्वा) रास्ता दिनांक 21.11.1978 जरिए आदेश तहसीलदार महोदय श्रीगंगानगर द्वारा मंजूर किया गया। जो कि नामान्तकरण संख्या 78 दिनांक 21.11.1978 द्वारा रिकार्ड दर्ज किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2065–68 खाता संख्या 52 दर्शन सिंह पुत्र करनैल सिंह मु.नं. 55 के किला नं. 1 ता 5 (एक एक बिश्वा) गैर मुमकिन रास्ता रिकॉर्ड दर्ज है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2069–72 चक 6 एलएल, पटवार हलका 4 एलएल, भू.अ.नि. बुर्जवाली खाता संख्या 52/41, जमाबंदी संवत 2065–68 चक 6 एलएल, पटवार हलका 2 एलएल, भू.अ.नि. बुर्जवाली खाता संख्या 41/38, जमाबंदी संवत 2073–76 चक 6 एलएल, पटवार हलका 4 एलएल, भू.अ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 10/48 का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर चक 6 एल एल के मुरबा नम्बर 55 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में जो रास्ता दिखाया गया है उसे दुरूस्त कर नम्बर 55 के किला नम्बर 1 ता 5 में रास्ता यथावत रखा जाकर रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (रा

Scanned with OKEN Scanner